सं0–644 / कृषि एवं कृषि विपणन / 2003

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसांई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. अपर निदेशक, कृषि, उत्तरांचल कैम्प, देहरादून
2. अपर परियोजना समन्वयक, कृषि विविधिकरण परियोजना, देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग **देहरादून : दिनांक 12 मई, 2003**

विषयः– प्रदेश में जैविक कृषि को बढावा देने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय फार्मो में शत–प्रतिशत क्षेत्र जैविक कृषि के अर्न्तगत लाया जाय तथा मैदानी क्षेत्र के फार्मो पर 50 प्रतिशत जैविक कृषि के कार्यक्रम लियें जायें इसी तरह सैनिक बोर्ड के पत्थर चट्टा फार्म पर भी 50 प्रतिशत क्षेत्र में जैविक कृषि कार्यक्रम अपनाया जाय, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय भी प्राथमिकता से उपरोक्तानुसार ही अपने प्रक्षेत्र पर जैविक कृषि कार्यक्रम लागू करें।

2– पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय कृषि फार्मो को शत–प्रतिशत जैविक कृषि हेतु प्रदर्शन प्रक्षेत्र के रुप में विकसित किया जायेगा, कृषि विभाग द्वारा देहरादून स्थित ढकरानी प्रक्षेत्र को सेन्अर आफ एक्सीलेन्स के रुप में विकसित किया जायेगा, इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय। इसके साथ ही गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रानीचौरी व मझेड़ा प्रक्षेत्र को भी जैविक कृषि में सेन्अर आफ एक्सीलेन्स के रुप में विकसित किया जायेगा, राजकीय प्रक्षेत्रों तथा विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को कृषक पाठशाला का आयोजन किया जायेगा।

3– सेन्टर आफ एक्सीलेन्स तथा प्रक्षेत्रों में जैविक कृषि से सम्बन्धित समस्त उन्नत तकनीकी, सम्बन्धी आडियो विजुअल एवं साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा कृषकों एवं सभी सम्बन्धित को जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि उत्तरांचल कृषि विविधिकरण द्वारा तथा अन्य जनपदों में टी0टी0डी0सी0 एवं मैक्रोमोड योजना से उपलब्ध कराई जायेगी।

4– अपर कृषि निदेशक द्वारा जैविक कृषि के सम्बन्ध में प्रदेश में स्थित पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि रक्षा अनुसंधान संस्थान में जो शोध परियोजना संचालित या प्रस्तावित की गई है, उनका पूरा विवरण प्राप्त किया जाय, इन कार्यक्रमों हेतु टी0टी0डी0सी0 के अर्न्तगत धनराशि उपलब्ध है, जिसे सम्बन्धित संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

5– पन्तनगर विश्वविद्यालय में मासिक रुप से शोध तथा प्रसार सम्बन्धी बैठक में अनिवार्य रुप से जैविक कृषि पर विस्तृत चर्चा की जाय और इस कार्यक्रम के अर्न्तगत जो समस्यायें व सुझाव आ रहें है, उनके निदान की तत्काल कार्यवाही भी की जाय।

6— जैविक कृषि के शोध एवं प्रायोगिक कार्यक्रम जो कृषकों के खेतों में आयोजित किये जायेगें, उस हेतु पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, जिन जनपदों में स्थापित हैं, उनकी देखरेख में किया जायेगा, रानीचौरी परिसर द्वारा टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसधान, अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा एवं बागेश्वर तथा कृषि रक्षा शोध अनुसंधान संस्थान, पिथौड़ागढ एवं चमोली जनपदों का कार्य देखा जायेगा। शेष जनपदों में पन्तनगर विश्वविद्यालय कृषि विभाग के साथ इन कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा माह अप्रैल के अन्त तक इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अवगत करायें। 9997276330

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।

सं0— 644(1) /कृषि एवं कृषि विपणन/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु :—

1— सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।
2— अपर परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण, परियोजना, देहरादून।
3— निदेशक, कृषि रक्षा शोध अनुसंधान संस्थान, पिथौड़ागढ।
4— निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
5— निदेशक, उत्तरांचल स्टेट सीड एण्ड आर्गनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेन्सी, देहरादून।
6— मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, बसन्त बिहार, देहरादून।

(डा0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।